कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, जनपद–लखनऊ

संख्याः 4213 /आब0दु0/व्यवस्थापन/2018–19/ई–लाटरी/लखनऊ, दिनांकः 24 फरवरी, 2018

विज्ञप्ति
(संशोधन)

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या–07/2018/ई–2/तेरह– 2018–46/ 2018 /दिनांक 25.01.2018 के अनुक्रम में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के अर्द्ध शासकीय पत्रांकः 38539–413/दस–लाइसेंस–367/आबकारी नीति/2018–19 दिनांकःइलाहाबादः फरवरी0 3, 2018 के अर्न्तगत वर्ष 2018–19 में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन हेतु घोषित आबकारी नीति में प्रदेश की समस्त आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन एक समान निर्धारित ई–लाटरी प्रकिया के माध्यम से कराया जाना निश्चित हुआ था। इस कम में सर्वसाधारण को पुनः सूचित किया जाता है कि दिनांक–20.02.2018 को प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या– 3992 एवं 4143–दिनांक–19.02.2018 के अन्तर्गत समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में **विदेशी मदिरा दुकान के कमांक–152 पर अंकित अहिमामऊ सरसावां की लाइसेंस फीस रू0 7,45,000/– के स्थान पर रू0 9,85,000/– व प्रास्थिति ग्रामीण के स्थान पर नगर निगम पढ़ा जाय। इसी तरह देशी मदिरा दुकान के कमांक–467 पर अंकित अहिमामऊ सरसावां की प्रास्थिति को ग्रामीण के स्थान पर नगर निगम पढ़ा जाय।** यथानुसार उक्त दुकानों में हुई त्रुटि को आनलाईन पोर्टल पर संशोधित कर दिया गया है। **संशोधित विदेशी मदिरा दुकान अहिमामऊ सरसावां का सम्पूर्ण विवरण निम्नवत है:–**

दु0कमांक	दुकान का नाम	प्रास्थिति	लाइसेंस फीस रू0	प्रतिभूति धनराशि रू0	धरोहर धनराशि रू0	सालवेंसी की धनराशि रू0
1	2	3	4	5	6	7
152	अहिमामऊ सरसावा	नगर निगम	9,85,000/–	98,500/–	98,500/–	9,85,000/–

जिला आबकारी अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

सम्पादक
हिन्दी दैनिक समाचार पत्र..........................

कृपया उपरोक्त संशोधित विज्ञप्ति अपने सम्मानित समाचार पत्र में यथानुसार प्रकाशित करते हुए भुगतान हेतु बिल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करे।

जिला आबकारी अधिकारी
लखनऊ।